मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018

क्रमांक – 3127 /3387/2018/1/59, :: डॉ. द्वारका प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला नरसिंहपुर को दी गई प्रोफार्मा पदोन्नति का वेतनलाभ देने के बारे में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका क्रमांक डब्ल्यु.पी. 1334/17 में निर्णय दिनांक 10.02.18 को निम्नानुसार पारित पारित किया गयाः–

Since the respondents have not passed any order after the petitioner was granted the benefit vide annexure P-8, in the circumstances, the petitioner is directed to make a fresh representation to the respondents in the light of the subsequent event along with the copy of order dated 27/12/2016 (Annexure P-8) within a period of seven days from the date of receipt of certied copy of this order, who shall decide the petitioners representation a fresh and extend the benefit as he is entitled in accordance with law within a period of four weeks from the date of receipt of certified copy of this order.

2/– डॉ. .द्वारका प्रसाद शर्मा, की उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये कि याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वेतनमान रूप्ये 1820–3300 एवं 2200–400 प्रदान करने के उनके दावे पर डॉ.शम्भूदत्त शर्मा की याचिका में पारित निर्णय अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित परीक्षण किया जाए। डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा भी उन्हें संविलियन दिनांक से उक्त वेतनमान एवं वित्तीय लाभ दिये जाने के बारे में माननीय न्यायालय में याचिका क्रमांक 4023/16 दायर की गई जिसमें पारित न्यायालय निर्णय दिनांक 29.02.16 की प्रति संलग्न करते हुए अभ्यावेदन दिनांक 14.03.2016 को प्रस्तुत किया गया।

3/– यहां यह उल्लेखनीय है कि डॉ0द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 4023/16 में पारित न्यायालय निर्णय दिनांक 29.02.2016 के बारे में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 14.03.2016 का पूर्ण परीक्षण उपरांत विभागीय आदेश दिनांक 03.10.2016 अमान्य किया गया।डॉ. शर्मा द्वारा पुनः याचिका माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई । चूंकि विभाग द्वारा डॉ.शम्भूदत्त शर्मा को नियमितीकरण दिनांक से वेतनमान संबंधी आदेश दिनांक 04.04.13 को जारी किये गये है। इसका उदाहरण देते हुए डॉ0द्वारका प्रसाद शर्मा, द्वारा वेतनमान एवं वित्तीय लाभ की मांग की जा रही है। डॉ0शम्भुदयाल शर्मा को जनपद पंचायत द्वारा किये गये वेतन

पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप बैद्य सहायक ग्रेड–1 (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी) का वेतनमान 2200–4000 संविलियन दिनांक से पूर्व की स्थिति में प्रदान किया गया था, इसलिए सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर किये गये संविलियन को संशोधित करके आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर शासन द्वारा संविलियन किया गया है।

4/– डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा, का प्रकरण डॉ.शम्भूदयाल शर्मा से अलग है। क्योंकि डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा को शासकीय सेवा में संविलियन के समय जनपद पंचायत की सेवा में प्राप्त वेतनमान सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के समान था। इस प्रकार डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा, द्वारा डॉ0शम्भुदयाल शर्मा का उदाहरण देकर माननीय न्यायालय में याचिकाऐं प्रस्तुत कर रहे है। इस प्रकार डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा, का यह कहना कि डॉ.शम्भुदयाल शर्मा के समान उन्हें भी वेतनमान एवं लाभ देने की मांग बार–बार की जा रही है। जबकि दोनों का प्रकरण भिन्न है। जहां तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बाबई चीचली जिला नरसिंहपुर द्वारा दिनांक 27.12. 2016 द्वारा वेतन पुनरीक्षित करने संबंधी प्रेषित पत्र पश्चातवर्ती कार्यवाही होकर केवल अपना पक्ष माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की दृष्टि से कराया जाना पाया गया है। जनपद पंचायत द्वारा किये गये पश्चातवर्ती वेतन पुनरीक्षण के अंतिम में स्पष्ट लेख किया है कि उनकी वित्तीय स्थिति ठीक न होने पर एरियर पाने की पात्रता नहीं होगी। जबकि डॉ.शर्मा के संविलियन के समय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा तत्समय प्राप्त हो रहे वेतनमान के आधार पर सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद का वेतन प्राप्त करने के कारण ही पूर्ण परीक्षण किया जाकर संविलियन कर उक्त पद का वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की गई है।

5/– डॉ.द्वारका प्रसाद शर्मा, संविलियन के पूर्व ग्रेड–1 बैद्य नहीं थे और तत्समय उनका वेतनमान सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का ही था। इस कारण उन्हें सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविलियन विभाग में किया जाकर तत्समय प्रचलित वेतनमान प्रदाय किया गया है। इस स्थिति में याचिका कमांक डब्ल्यु.पी. 1334/17 डॉ. द्वारका प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला नरसिंहपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.02.18 के अनुक्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.02.17 पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6/– अतः राज्य शासन एतदद्वारा डब्ल्यु.पी. 1334/17 डॉ. द्वारका प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला नरसिंहपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.02.18 के अनुक्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 17.02.17 पूर्ण विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
07/12/18
(सुनील मडावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग

क्रमांक –3128/3387/2018/1/59, भोपाल दिनांक 07 दिसम्बर 2018

प्रतिलिपिः–

1–– आयुक्त, संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल।

2– निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग भोपाल।

3– संभागीय आयुष अधिकारी, जबलपुर संभाग जबलपुर।

4– जिला आयुष अधिकारी, जिला नरसिंहपुर। कृपया आदेश की एक प्रति डॉ0शर्मा को तामील कराने हेतु।

5– उप संचालक, संचालनालय आयुष की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।

6– डॉ. द्वारका प्रसाद शर्मा सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी द्वारा– जिला आयुष अधिकारी जिला नरसिंहपुर।

7– आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक।

07/12/18

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग